भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4237
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र

4237. **श्री दिलेश्वर कामैतः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित देश में महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र स्थापित किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) वर्तमान में देश में जिला-वार विशेष रूप से उक्त राज्य के सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले में ऐसे कितने केंद्र कार्यरत हैं;
(घ) क्या सरकार का विचार देश में पंचायतों की मदद से ऐसे और अधिक केंद्र स्थापित करने का है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिनांक 01.04.2022 से 'मिशन शक्ति' नामक व्यापक योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बिहार सहित देशभर में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के कार्यकलाप को सुदृढ़ करना है।

मिशन शक्ति के दो घटक हैं 'संबल' और 'सामर्थ्य'।"सामर्थ्य" घटक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है और सामर्थ्य के तहत एक योजना संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) है)।

संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) मिशन शक्ति के विभिन्न घटकों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करता है। इसकी प्राथमिक भूमिका देश भर में महिलाओं की सहायता करने के लिए

एक ही स्थान पर अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण तंत्र के रूप में कार्य करना है। इस पहल के तीन स्तर हैं - राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला, जो महिलाओं को प्रभावी पहुंच और सहायता प्रदान करने के लिए समन्वय में काम करते हैं। सहायता मांगने वाली महिलाओं को संकल्प: एचईडब्ल्यू के माध्यम से मिशन शक्ति के विभिन्न घटकों तथा भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अन्य महिला-केंद्रित योजनाओं/पहलों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।
जमीनी स्तर पर महिलाओं तक सूचना के प्रसार को सुगम बनाने के लिए कर्मचारियों को नियमित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संकल्प: एचईडब्ल्यू अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सुसज्जित हैं, जिसमें उन्हें 'मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)' और केंद्र सरकार की महिला-केंद्रित योजनाओं, नीतियों, कानूनों और विधानों का विस्तृत ब्यौरा वाला व्यापक संग्रह प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, संकल्प: एचईडब्ल्यू को आउटरीच गतिविधियों के लिए आवागमन सहायता हेतु वाहनों को किराये पर लेने के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान की गई हैं, ताकि इन जागरूकता प्रयासों की प्रभावशीलता और पहुंच को बढ़ाया जा सके।

पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तर पर संकल्प:एचईडब्ल्यू कार्यशील हैं।

बिहार के सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिलों सहित जिला स्तर पर कार्यशील संकल्प: एचईडब्ल्यू की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

<u>“महिला सशक्तिकरण केन्द्र” के संबंध में श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा दिनांक **20.12.2024** को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **4237** के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक</u>

बिहार के सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिलों सहित जिला स्तर पर कार्यशील संकल्प : एचईडब्ल्यू की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं..	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कार्यशील डीएचई डब्ल्यू की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
2	आंध्र प्रदेश	26
3	अरुणाचल प्रदेश	25
4	असम	35
5	बिहार	38
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	33
8	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	3
9	दिल्ली	11
10	गोवा	2
11	गुजरात	33
12	हरियाणा	22
13	हिमाचल प्रदेश	12
14	जम्मू और कश्मीर	20
15	झारखंड	24
16	कर्नाटक	31
17	केरल	14
18	लद्दाख	2

19	लक्षद्वीप	1
20	मध्य प्रदेश	52
21	महाराष्ट्र	36
22	मणिपुर	16
23	मेघालय	12
24	मिजोरम	11
25	नागालैंड	16
26	ओडिशा	30
27	पुद्दुचेरी	4
28	पंजाब	23
29	राजस्थान	33
30	सिक्किम	6
31	तमिलनाडु	38
32	तेलंगाना	33
33	त्रिपुरा	8
34	उत्तर प्रदेश	75
35	उत्तराखंड	13
	कुल	**742**

जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र (डीएचई डब्ल्यू)

*****